



प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 21 सितम्बर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रीतम सिंह पुत्र श्री रेवत सिंह, निवासी जनपद-मुरादाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-20825/प्रो०अनु०(7)-फार्म-ए सीमित कारावास/15/2026(बैठक दि०-20.04.2026) दिनांक-26.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रीतम सिंह पुत्र श्री रेवत सिंह, जो ग्राम-समाथल, थाना-पाकबाड़ा, जनपद-मुरादाबाद का निवासी है। दिनांक 09.06.2016 को अभियुक्त द्वारा विधिपूर्ण विवाहित होते हुए व पूर्व पत्नी के जीवित रहते हुए पीड़िता के साथ झूठ बोलकर विवाह किया गया एवं धोखे में रखकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-279/2017, भा०द०वि० की धारा-376, 494, 506 के अंतर्गत मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट सं०-1 मुरादाबाद, के आदेश दिनांक 05.05.2022 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.11.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष, 01 माह, 25 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 02 माह, 10 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से भय उत्पन्न करते हुए व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने से इंकार नहीं किये जा सकने, बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी के समय पूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोवेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 09.06.2016 को अभियुक्त द्वारा विधिपूर्ण विवाहित होते हुए व पूर्व पत्नी के जीवित रहते हुए, पीड़िता के साथ झूठ बोलकर विवाह किया गया एवं धोखे में रखकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2

के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी प्रीतम सिंह पुत्र श्री रेवत सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रीतम सिंह (बन्दी संख्या-49235) पुत्र श्री रेवत सिंह, निवासी जनपद-मुरादाबाद को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1205/2026/1115(1)/22-2-2026 तददिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
- 3- निजी सचिव, मा० मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

दिनांक: 21 सितम्बर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रीतम सिंह पुत्र श्री रेवत सिंह, जो ग्राम-समाथल, थाना-पाकबाड़ा, जनपद-मुरादाबाद का निवासी है। दिनांक 09.06.2016 को अभियुक्त द्वारा विधिपूर्ण विवाहित होते हुए व पूर्व पत्नी के जीवित रहते हुए, पीड़िता के साथ झूठ बोलकर विवाह किया गया एवं धोखे में रखकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०- 279/2017, भा०द०वि० की धारा-376, 494, 506 के अंतर्गत मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट सं०-1 मुरादाबाद, के आदेश दिनांक 05.05.2022 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.11.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष, 01 माह, 25 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 02 माह, 10 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से भय उत्पन्न करते हुए व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने से इंकार नहीं किये जा सकने, बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बन्दी के समय पूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोवेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 09.06.2016 को अभियुक्त द्वारा विधिपूर्ण विवाहित होते हुए व पूर्व पत्नी के जीवित रहते हुए, पीड़िता के साथ झूठ बोलकर विवाह किया गया एवं धोखे में रखकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने का अपराध कारित किया गया। जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी प्रीतम सिंह पुत्र श्री रेवत सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।